



म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

क./बोर्ड/विधि/विविध/8/जन./डब्ल्यू.पी./2024/24114
प्रति,

भोपाल, दिनांक 16/8/24

संयुक्त संचालक,
म०प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड
आंचलिक कार्यालय-(समस्त)।


विषय:- न्यायालयीन प्रकरणों में मुख्य सचिव महोदय, म.प्र. शासन का नाम विलोपित कराने के संबंध में।

- सन्दर्भ:-
1. मुख्य सचिव महोदय, म.प्र. शासन का पत्र क्रमांक 153/मुस/2016 दिनांक 12/05/2016।
 2. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग का पत्र क्रमांक/1212/1577/2012/14-1 दिनांक 15/06/2016।

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें, जिनकी छायाप्रति सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न है। लेख है कि शासन स्तर से "माननीय उच्च न्यायालय में दर्ज प्रकरणों में मुख्य सचिव महोदय को पक्षकार के रूप में संयोजित किये जाने की स्थिति में अचलमुख्य मुख्य सचिव महोदय का नाम विलोपन संबंधी कार्यवाही किये जाने हेतु" निर्देश दिए गए हैं, किन्तु कतिपय रूप से देखने में आया है कि प्रभारी अधिकारी के स्तर से उक्त निर्देशों का पूर्ण पालन नहीं किया जा रहा है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आपके अंचल के लंबित न्यायालयीन प्रकरणों की समीक्षा करें तथा यदि यह पाया जाता है कि किसी प्रकरण में मुख्य सचिव महोदय, म०प्र० शासन को पक्षकार के रूप में सम्मिलित किया गया है तो तत्काल अधिवक्ता के माध्यम से माननीय न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर मुख्य सचिव महोदय, म.प्र. शासन का नाम विलोपित कराने की कार्यवाही करते हुए पालन प्रतिवेदन 15 दिवस में अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।

सलग्न:- उपरोक्तानुसार।


(श्रीमन् शुक्ला)

प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म०प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल



म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

क./बोर्ड/विधि/विविध/8/जन./डब्ल्यू.पी./2024/ 2415

भोपाल, दिनांक 16/8/24

प्रतिलिपि:-

सचिव, म0प्र0 शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग ।

प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल

मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय

कमांक 1212/1532
/2995/2012/14-1 भोपाल, दिनांक 15/06/16
प्रति,


- 1-संचालक
किसान कल्याण / तथा कृषि अभियांत्रिकी
कृषि प्रशिक्षण संस्थान
म0प्र0 भोपाल।
- 2-प्रबंध संचालक,
कृषि विपणन बोर्ड / बीज एवं फार्म वि0नि0
बीज प्रमाणीकरण संस्थान / राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्थान।
- 3- कृषि विश्व विद्यालय
जवाहर लाल नेहरू कृ0वि0 जबलपुर
राजमाता सिंधिया कृ0वि0 ग्वालियर।
मध्यप्रदेश भोपाल।

विषय:- न्यायालयीन प्रकरणों में मुख्य सचिव का नाम विलोपित करने के संबंध में।

उपरोक्त विषयक मुख्य सचिव कार्यालय से प्राप्त पत्र कमांक
153/मुस/2016 दिनांक 12.5.2016 की छायाप्रति संलग्न कर अनुरोध है कि
प्रकरण में मुख्य सचिव महोदय द्वारा दिए निर्देशानुसार कार्यवाही/पालन करें।

संलग्न उपरोक्तानुसार

म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
क्र. 48-1/160 दि. 15/6/16
शाखा 70 (Legal)
संचालक


उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

पंजी
 30-चौबजाल
 (सप्तम 1220)
 डाक (DR)
 26/5/16

1

मध्यप्रदेश शासन
 मुख्य सचिव कार्यालय
 मंत्रालय
 वल्लभ भवन, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन
 कृषि विभाग (सक-1)
 पंजी क्र 1577
 दिनांक 26-05-16

क्रमांक 153 मु.स./2016,
 प्रति,

भोपाल, दिनांक 12/5/20

224
 दिनांक 13/5/16

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
 मध्यप्रदेश शासन,
 विभाग.

विषय :- न्यायालयीन प्रकरणों में मुख्य सचिव का नाम विलोपित करने
 संबंध में।

--000--

1. विभिन्न न्यायालयीन प्रकरणों में याचिकाकर्ता/वादी द्वारा मुख्य सचिव को पक्षकार के रूप में संयोजित किया जा रहा है। इस संबंध में संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड (2) एवं (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत बनाए गए मध्यप्रदेश कार्यपालक शासन के कार्य नियम (Rules of Business of the executive Government of Madhya Pradesh) में निम्नानुसार सुस्पष्ट प्रावधान है कि -

15/5/16
 19/5/16
 20/5/16

मध्यप्रदेश कार्यपालक शासन के कार्य नियम, भाग पांच - "कार्य नियम नियम 13 के अधीन अनुपूरक अनुदेश" के खण्ड-2(क) के अनुसार विभागीय सचिव द्वारा किया गया निपटारा शासन द्वारा किया गया निपटारा समझा जायेगा। कार्य नियम भाग-1 के नियम-12 के अन्तर्गत संबंधित विभाग का सचिव प्रत्येक मामले में नियमों के सावधानीपूर्वक पालन के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी है।

2. प्रमुख सचिव, विधि और विधायी कार्य विभाग के पत्र क्रमांक 86, 191/21-मत/2015, दिनांक 25 जून, 2015 द्वारा उपर्युक्त विषयान्तर्गत महाधिवक्ता, जबलपुर, मध्यप्रदेश को विस्तृत मार्गदर्शन प्रेषित किया गया है। सुलभ सन्दर्भ तथा उपयोग हेतु परिशिष्ट-1 पर छायाप्रति संलग्न है।

15/5/16
 20/5/2016

SB-1
 प्रकृत
 12 put up
 21/5/16
 31/05/16
 110 DS
 20/5/16
 148

.....
 दिनांक 26/5/16

3. अविमानना मामलों में राज्य सरकार की ओर से मुख्य सचिव को मामलों में पक्षकार बनाए जाने के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के स. अविमानना प्रकरण क्रमांक 649/2015 में एकल पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.09.2015 को प्रकरण क्रमांक आर.पी.49/2016 में माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.02.2016 (परिशिष्ट-2) द्वारा वापस लिया गया है साथ ही निर्देश दिए गए हैं कि-

"That the contempt case shall be filed and proceed in accordance with the requirement of High Court of Madhya Pradesh Rules 2008 or the statutory requirement of the Contempt of Court Act and the rules framed therein."

4. उक्त विधिक स्थिति के अनुसार प्रस्तुत वाद/रिट याचिकाओं तथा अविमानना याचिकाओं में मुख्य सचिव का नाम विलोपित करने की कार्यवाही की जावे।

5/ प्रकरण में मुख्य सचिव को पक्षकार के रूप में संयोजित करते हुए प्रस्तुत आवेदन-पत्रों से प्राप्त नोटिस में प्रशासकीय विभाग द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही अविलम्ब की जावे :-

- (i) प्रकरण में तत्काल ही प्रभारी अधिकारी/सम्पर्क अधिकारी की नियुक्ति की कार्यवाही की जावे।
- (ii) मुख्य सचिव की ओर से माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने वाले वकालतनामा आदि पर हस्ताक्षर करवाने संबंधी कार्यवाही की जावे।
- (iii) मुख्य सचिव का नाम विलोपन संबंधी कार्यवाही की जावे।
- (iv) प्रकरण में जवाबदावा दाखिल करने की कार्यवाही की जावे।
- (v) प्रकरण में कृत कार्यवाही की तथ्यात्मक स्थिति एक सप्ताह के भीतर अवलोकन हेतु मेरे समक्ष प्रस्तुत होने की अचूक व्यवस्था तथा इसकी सतत समीक्षा भारसाधक सचिव द्वारा की जावे।

11/5/16
(अन्टोनो डिसा)
मुख्य सचिव